



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025 ई0

पौष 09, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 904 / iX-1 / 2025-02(04)2023, E-89592

देहरादून, 30 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0-85

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-12/2003) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-562 / IX-1 / 2023-02(04) / 2023 दिनांक 07-11-2023 को अधिक्रमित करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 51क के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा में यान को स्क्रेप कराये जाने वाले गैर परिवहन एवं परिवहन यानों के सापेक्ष समान श्रेणी के नए वाहनों के पंजीयन के समय निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोटरयान कर में छूट की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- गैर-परिवहन यानों के मामले में देय एक बारीय मोटर यान कर का पच्चीस प्रतिशत,
- परिवहन यानों के मामले में देय मोटर यान कर का पन्द्रह प्रतिशत, और,
- व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 1 (बीएस-I) से आच्छादित गैर परिवहन एवं परिवहन यान तथा व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 2 (बीएस-II) से आच्छादित सभी मध्यम और भारी माल यानों तथा सभी मध्यम और भारी यात्री यानों को देय मोटर यान कर से 50 प्रतिशत।

परन्तु उपरोक्त छूट परिवहन यानों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन यानों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी। छूट पूर्ववर्ती यान को स्कैप किये जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा द्वारा जारी निक्षेप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य होगी।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, उपरोक्त मामलों में, इन अवधियों की गणना पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, “निक्षेप प्रमाणपत्र” पद का वही अर्थ होगा जो मोटर यान (वाहन स्कैपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम 2021 के नियम 3 के खंड (ग) के उपखंड (1) में उसे अभिहित किया गया है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार संत,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the “Constitution of India”, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.904/IX-1/2025/02(04)2023/E-89592 dated December 30, 2025 for general information.

No. 904/IX-1/2025/02(04)2023/E-89592

Dated Dehradun, December 30, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 and in supersession of the earlier Notification No. 562/IX-1/2023-02(04)/2023 dated 07-11-2023, the Governor is pleased to allow exemption in motor vehicle tax at the time of registration of new vehicles of the same category as non-transport and transport vehicles scrapped at any registered vehicle scrapping facility under Rule 51A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, subject to the following conditions:

- (i) Twenty-five per cent of the one-time motor vehicle tax payable in the case of non-transport vehicles,
- (ii) In the case of transport vehicles, fifteen per cent of the motor vehicle tax payable, and,
- (iii) 50 per cent of the motor vehicle tax payable on non-transport and transport vehicles conforming to Bharat Stage 1 (BS-1) mass emission standards and all medium and heavy goods vehicles and all medium and heavy passenger vehicles conforming to Bharat Stage 2 (BS-II) mass emission standards:

Provided the above exemption will be available for a period of eight years in the case of transport vehicles and fifteen years in the case of non-transport vehicles. The exemption will be admissible only on production of a deposit certificate issued by a registered vehicle scrapping facility after the scrapping of the previous vehicle.

Explanation-1. For the purposes of this notification, in the above cases, these periods shall be reckoned from the date of first registration.

Explanation-2. For the purposes of this notification, the expression "deposit certificate" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (1) of clause (c) of rule 3 of the Motor Vehicles (Vehicle Scrapping Facility, Registration and Functions) Rules, 2021.

2. This notification shall come into force from the date of its issue.

By Order,

BRIJESH KUMAR SANT,
Secretary.